दिनांक 01.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 01/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा रमजान एवं ईद उल फितर–2025 आदि त्योहारों के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा एवं कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को रमजान माह एवं ईद उल फितर–2025 आदि त्योहारों के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा एवं कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश दिये गयेः–

- प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्योहार रजिस्टर एवं रजिस्टर नं0–8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय तथा असामाजिक/अवॉछनीय तत्वों की सूची को अद्यावधिक करते हुए आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- समस्त कार्यक्रम के आयोजकों, पीस कमेटी एवं धर्मगुरूओं आदि के साथ गोष्ठी कर ली जाये। गोष्ठी में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर त्योहारों से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का समाधान समय से करा लिया जाय।
- रमजान माह में विभिन्न कार्यक्रमों जुलूसों के मार्ग पर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से भ्रमण व समुचित पुलिस/पीएसी बल एवं उपलब्ध सीएपीएफ के साथ फ्लैग मार्च कराया जाये।

- ड्रोन कैमरे के माध्यम से आयोजन स्थलों, संवेदनशील स्थानों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों की निगरानी की जाये तथा जुलुस के मार्गों एवं हॉट स्पाट पर प्रर्याप्त/सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध किया जाये।
- दंगा नियंत्रण उपकरणों की गुणवत्ता, उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये तथा उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर स्ट्राइकिंग रिजर्व के साथ व्यवस्थापित किया जाये।
- जनपद में उपलब्ध पुलिसबल की समीक्षा कर ली जाये एवं अधिकाधिक संख्या में पुलिस बल का शांति व्यवस्था बनाये रखने में उपयोग किया जाये।
- मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में समुचित पुलिस प्रबन्ध कर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा समाज में विद्वेष फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जनपद में स्थापित सीसीटीवी कैमरो को सूचीबद्ध करते हुए सक्रिय रखा जाये तथा जहाँ भी वृहद कार्यक्रम आयोजित हो वहाँ नये सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराते हुए निगरानी रखी जाये एवं नियमित मोबाइल गश्त/फुट पेट्रोलिंग करायी जाये।
- यू0पी0 112 के वाहनो का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो, स्थलों पर किया जाये तथा पीआरवी वाहनो के कर्मियों को विधिवत ब्रीफ कर दिया जाये।
- सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे–फेसबुक/इन्स्टाग्राम/ट्वीटर/व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखा जाये, असत्य एवं भ्रामक सूचना प्रसारित होने पर तत्काल उसका प्रभावी खण्डन किया जाये।
- समस्त जनपदों में पोस्टर पार्टी का गठन कर प्रातःकाल समस्त धार्मिक स्थलों की नियमित चेकिंग सुनिश्चित की जाये।

- नियंत्रण कक्ष/उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रियायें निर्धारित की जायें।
- आसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय/सतर्क रखा जाय तथा विभिन्न असामाजिक, अवॉछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए छोटी से छोटी सूचना को भी अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परता पूर्वक यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

दिनांक 01.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 02/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद प्रतापगढ़/थाना पट्टी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के पीली धातु की चैन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 28.02.2025 की रात्रि थाना पट्टी व थाना आसपुर देवसरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वनपुरवा पेट्रोल पम्प के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सोनू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–ओमप्रकाश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के पीली धातु की चैन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद जौनपुर, प्रतापगढ, सुलतानपुर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़, सुलतानपुर, अम्बेड़कर नगर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, हत्या, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी अखंड़नगर थाना अखंड़नगर जनपद सुलतानपुर।

2–ओमप्रकाश निवास सिंघपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–लूट के पीली धातु की चैन।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 लाख रूपये नगद बरामद**

दिनांक 01.03.2025 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1–रमन को मधुबनी, बिहार से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर लाया गया, जिसकी निशादेही पर अभियुक्त 2–अमित कुमार 3–देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल 4–गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 लाख रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सेक्टर–58 क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त गुड्डू व अमित के विरूद्ध डकैती, लूट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रमन निवासी ग्राम सुरसाही मोहल्ला वर्माजी टोला थाना फूलप्रास जनपद मधुबनी, बिहार।

2–अमित कुमार निवासी ग्राम गोठ खुटोना थाना खुटोना जनपद मधुबनी, बिहार।

3–देवेन्द्र कुमार उर्फ राहुल निवासी ग्राम कालीपुर थाना फूलप्रास जनपद मधुबनी, बिहार।

4–गुड्डू कुमार निवासी ग्राम सुरसाही मोहल्ला वर्माजी टोला थाना फूलप्रास जनपद मधुबनी, बिहार।

बरामदगी

1–चोरी के 06 लाख रूपये नगद।

जनपद फतेहपुर/थाना मलवां

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **33 किलो 790 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 28.02.2025 को थाना मलवां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–संजय 2–राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 33 किलो 790 ग्राम अवैध गांजा, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मलवां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय निवासी नयापुरवा थाना थरियॉव जनपद फतेहपुर।

2–राजेश निवासी गंगानगर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–33 किलो 790 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 चार पहिया वाहन।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना पिपराईच (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना पिपराईच पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना झगहां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना झगहां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त चन्दन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बारांबकी/थाना सफदरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सफदरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना शाहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 405 जिन्दा कछुए बरामद।</u>

दिनांक 01–03–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रतिबन्धित प्रजाति के कछुओं की तस्तरी करने वाले 02 तस्करों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 405 जिन्दा कछुए बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः</u>

1– कुलदीप चतुर्वेदी पुत्र स्व0 रामनिवास चतुर्वेदी निवासी ग्राम गहवरा पोस्ट तिवना थाना व तहसील मीरगंज जनपद बरेली। उम्र लगभग 29 वर्ष।

2– अमित यादव पुत्र गिरीश यादव निवासी ग्राम अंसारी मोहल्ला पोस्ट बरेली थाना फतेहगंज जनपद बरेली। उम्र लगभग 20 वर्ष।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 405 अदद जीवित कछुए। (संरक्षित/प्रतिबन्धित प्रजाति)

2– 01 अदद आधार कार्ड

3– 01 अदद पैन कार्ड कार्ड

4– 01 अदद मोबाइल फोन सैमसंग

5– 01 स्विफ्ट कार यूपी 13 एएल 4254

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 01–03–2025 समय करीब 3:40 बजे प्रातः बजे उषराहार किशनी मार्ग पर जनपद मैनपुरी।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को प्रतिबन्धित प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, एस0टी0एफ फील्ड इकाई, कानपुर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि कछुओं की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य प्रतिबन्धित प्रजाति के कछुओं को इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद से इकठ्ठा करके स्विफ्ट गाड़ी में लोड करके मैनपुरी से रूद्रपुर उत्तराखण्ड ले जाने वाले है। प्राप्त सूचना पर उ0नि0 विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर वन क्षेत्राधिकारी रेंज मैनपुरी से समन्वय स्थापित कर उषराहार किशनी मार्ग पर जनपद मैनपुरी से 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह भाड़े पर गाड़ी चलाते है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रूद्रपुर के रहने वाले सन्तोष से हुई। सन्तोष द्वारा ही उनसे प्रतिबन्धित कछुओं की तस्करी करने वाले रूपसिंह निवासी अछल्दा जनपद इटावा के बारे में बताया गया था। बरामद कछुए रूप सिंह द्वारा ही इनको उपलब्ध कराया गया था। मैनपुरी से रूद्रपुर (उत्तराखण्ड) पहुॅचाने के लिये 50,000/–भाड़ा देना तया हुआ था। जिसमें से 20 हजार रूपये एडवांस में मिल चुका था शेष पैसे कछुओं को रूद्रपुर, उत्तराखण्ड पहुॅचाने के बाद मिलना था। रूप सिंह व सन्तोष के सम्बन्ध में अन्य जानकारी की जा रही है, जिसके उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–2, (16ख) 9, 39, 48, 498, 50, 51, 57 व भा0 वन अधि0 की धारा 52क, के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन

अधिकारी मैनपुरी रेंज वन प्रभाग, मैनपुरी के सुपुर्द किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी रेंज वन प्रभाग, द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाला 01 तस्कर गिरफ्तार, 05.400 कि0ग्रा0 चरस (अनुमानित मूल लगभग 27 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 01–03–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 तस्कर को 05.400 कि0ग्रा0 चरस (अनुमानित मूल लगभग 27 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

1– रामबाबू पुत्र अछैवर नि0 जे 25/59 ई–2 उस्मानपुरा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगी :–

1– 05.400 कि0ग्रा0 चरस (अनुमानित मूल 27 लाख रूपये)

2– 02 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय :–

मोहनसराय अण्डरपास के पास, थाना क्षेत्र रोहनियॉ, वाराणसी दिनांक 01–03–2025

विगत दिनों मादक पदार्थ तस्करों द्वारा अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने की सूचना एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के अनुपालन में निरीक्षक अनिल कुमार सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद वाराणसी में ड्रग्स माफियाओं का एक संगठित गिरोह कार्य कर रहा है, जिनके द्वारा चरस, गांजा, हसीस, स्मैक आदि नशीले पदार्थ हिमाचल प्रदेश के मनाली, बिहार व नेपाल के बार्डर से भारी मात्रा में

लाकर जनपद वाराणसी एवं आसपास के जनपदों में बेचा जाता है। मादक पदार्थ तस्करों द्वारा मादक पदार्थ बसों/ट्रेनों द्वारा भी देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है।

दिनांक 28—01—2025 को एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले उक्त गिरोह के 02 तस्करो संतोष कुमार झा पुत्र स्व0 रत्नेश्वर झा नि0 गडबड़ुवाड़ी थाना सुपौल जनपद सुपौल बिहार व शिखा वर्मा पुत्री सरोज सेठ नि0 कंदवा थाना चितईपुर जनपद वाराणसी को 05.628 कि0ग्रा0 चरस के साथ गिरफ्तार करते हुए थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर में मु0अ0सं0 32/25 धारा 111 बी0एन0एस0 व 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

इसी क्रम में सूचना मिली कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले उक्त गिरोह का सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा व महेन्द्र मिश्रा उर्फ छोटू पुत्रगण स्व0 उपेन्द्र मिश्रा निवासी नीलकण्ठ (काली माता मंदिर के पास) थाना चौक जनपद वाराणसी अपने एक साथी रामबाबू के साथ दिनांक 22—02—2025 को दिल्ली होते हुए मनाली, हिमांचल प्रदेश गए हैं तथा दिनांक 27—02—2025 को देवेन्द्र मिश्रा व महेन्द्र मिश्रा द्वारा रामबाबू को बस में बैठा दिया गया है, जो चरस लेकर मनाली से दिल्ली व कानपुर होते हुए वाराणसी आने वाला है। इस सूचना पर विष्वास करते हुए एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम द्वारा आज दिनांक 01—03—2025 को मोहनसराय अण्डरपास थानाक्षेत्र रोहनियां जनपद वाराणसी से उपरोक्त तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से पाया गया कि उक्त रामबाबू गैंग के सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 उपेन्द्र मिश्रा निवासी नीलकण्ठ (काली माता मंदिर के पास) थाना चौक जनपद वाराणसी का पुराना दोस्त है। पूछताछ पर बताया कि देवेन्द्र मिश्रा व महेन्द्र मिश्रा इस गैंग के मुख्य सरगना है। इन लोगों द्वारा हिमांचल प्रदेश के तनु से माल लिया जाता है तथा वाराणसी में लाकर मुकेश मिश्रा उर्फ श्याम व मिठ्ठू नामक डिलेवरी ब्वाय के माध्यम से वाराणसी के विभिन्न स्थानों के साथ—साथ वाराणसी के बाहर भी भेजकर भारी लाभ कमाया जाता है। देवेन्द्र मिश्रा व उसके भाई महेन्द्र मिश्रा उर्फ छोटू द्वारा रामबाबू को 20 हजार रूपये का लालच देकर

अपने साथ दिनांक 22—02—2025 को बनारस स्टेशन से ट्रेन द्वारा दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली से तीनों मनाली हिमांचल प्रदेश गए। देवेन्द्र मिश्रा द्वारा मादक पदार्थ खरीदने हेतु पहले ही तनु नामक व्यक्ति को कुछ पैसा ऑनलाइन भेज दिया गया था और कुछ पैसा कैश में देकर मादक पदार्थ ले लिया गया। दिनांक 27—02—2025 को देवेन्द्र मिश्रा व महेन्द्र मिश्रा द्वारा रामबाबू को मनाली से दिल्ली के लिए बस पर बैठा दिया गया। जो दिल्ली से बस द्वारा जनपद वाराणसी आया था।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना रोहनिया जनपद वाराणसी पर मु0अ0सं0 63／25 धारा 111 बी0एन0एस0 व 08／22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवष्यक विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————